



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-871-औसं-17/पाकालि/2021-11(28)ए०एस०/04

दिनांक 10 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों को यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 111-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-335-औ०स०/2015-11(28)ए०एस०/04 दिनांक 28.01.2015 द्वारा गम्भीर रोगों हेतु पूर्व में कैशलेस चिकित्सा हेतु दी गयी मान्यता के अनुक्रम में **Oncology services** को भी सम्मिलित करते हुए कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत - **Oncology** की चिकित्सा/उपचार कराने हेतु चिकित्सालय प्रबन्धन के पत्र संख्या-YHRC/Emp/UPPCL/06/20/02 दिनांक 22.06.2020 एवं संख्या-YHRC/Emp/UPPCL/07/20/02 दिनांक 22.07.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औ०स०/2018 दिनांक 08.08.2018 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं सी०जी०एच०एस० की स्वीकृत दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की सहमति सहित मान्यता प्रदान की जाती है :-

उक्त कैशलेस उपचार हेतु कारपोरेशन के आदेश सं०-3277-औ०स०/2019 दिनांक 21.09.2019 एवं आदेश संख्या-2800-औसं/2012-11(30)ए०एस०/2004 दिनांक 21.09.2012 में उल्लिखित निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

1. कैशलेस उपचार हेतु भर्ती रोगी की सूचना अस्पताल द्वारा (संलग्न प्रारूप में) भर्ती होने के 24 घण्टे के अन्दर कारपोरेशन की ई-मेल आई०डी० uppcashlesstreatment@gmail.com पर ई-मेल किया जाये, ताकि आवश्यकतानुसार कारपोरेशन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त रोगी का भौतिक सत्यापन किया जा सके।
2. अस्पताल द्वारा रोगी के डिस्चार्ज होने के 03 दिन के अन्दर प्राधिकार पत्र, अनिवार्यता प्रमाण-पत्र, डिस्चार्ज समरी एवं बीजक की प्रति संलग्न कर कारपोरेशन को ई-मेल के द्वारा प्रेषित की जाये। कैशलेस उपचार से सम्बन्धित बीजक रोगी के डिस्चार्ज होने के एक माह के अन्दर कारपोरेशन को उपलब्ध कराये जायें।
3. प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान पत्र, नवीनतम वेतन पर्ची (Pay Slip) तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण पत्र एवं पुत्र/पुत्री का आयु का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. कार्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार व चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश संख्या-6163-औसं-17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित घोषणा पत्र शपथ पत्र पर देना अनिवार्य होगा।
5. प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक/ पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा।

NdL

क्रमशः 2/-

6. इलाज पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-4594-औस/2018 दिनांक 03.12.2018 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक/रोगी के फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु०) को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. अस्पताल प्रबन्धन यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलाज के बीजक में अदेय सामग्री जैसे विटामिन, टॉनिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।
8. उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी हेतु आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेंगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।
9. चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेंगे, जो उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा-पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
10. उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-871-औस-17/पाकालि/2021/तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

NCL

क्रमशः 3/-

8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिक्षासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिक्षासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org/E BOOK पर अपलोड करने हेतु।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।
16. प्रबन्धक, यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, III-एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद को समस्त आदेशों की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

Naf Matte
(नवनीत माथुर) 10.3.21

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी